भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 208
पी.सी. VI सं. 99
आर बी सं. 67/2009

सं. ई (एल एल)2004/एफ ए/1 **नई दिल्ली, दि. 5.5.09**

महाप्रबंधक एवं विसमुलेधि,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय : त्यौहार अग्रिम की पात्रता सीमा और राशि में संशोधन .

*****

त्यौहार अग्रिम की पात्रता सीमा/राशि को संशोधित करने के लिए बोर्ड के दिनांक 5.11.2008 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 203 के अधिक्रमण में, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (संशोधित संस्करण-1989) के पैरा 1125 और पैरा 1125 (i) को अनुबंध के रूप में संलग्न अग्रिम शुद्धि पची सं. 208 के अनुसार संशोधित किया जाए.

पैरा 1125 अर्थात् उप पैरा{(ii) से (viii) तक} के अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

ए.डी.रामचन्द्रन
(ए.डी.रामाचंद्रन)
निदेशक, स्थापना(श्र.वि.)

संलग्न : यथोक्त

E:\Translation Work\E (LL)\E (LL)2008-F A-1 doc

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I

(संशोधित संस्करण- 1989)

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के पैरा 1125 और 1125 (i) को निम्नानुसार पढ़ा जाए.

1125 - अग्रिम एवं त्यौहार

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 208

पृष्ठ सं. 141 अध्याय- XI

अराजपत्रित रेल सेवकों (उन कारखाना कर्मचारियों सहित जिनका ग्रेड वेतन 4800/-रुपए प्रतिमाह (केवल अड़तालीस सौ रुपए) से अधिक न हो) को महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन अग्रिम प्रदान किया जाए:-

(i) समूह 'ग' रेल सेवकों (जिसमें कुशल और कुशलतम कर्मचारी शामिल हैं) और समूह 'घ' रेल सेवकों (जिसमें अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी शामिल हैं) को अग्रिम प्रदान किया जाए. अग्रिम की राशि 3,000/-रुपए (केवल तीन हज़ार रुपए) होगी. जब भी संशोधित वेतन बैंड पर मंहगाई भत्ता 50% हो जाए तब हर बार अग्रिम की दरों को भी 25% तक बढ़ा दिया जाए.

(पैरा 1125 के अन्य सभी निबंधन और शर्तें {(अर्थात् -उप पैरा (ii) से (viii) तक)}अपरिवर्तित रहेंगी).

(सं. ई (एल एल) 2008/एफ ए/1, दिनांक 22.4.09)

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

ACSNo. 208
PC.VI No.99
RBE No.67/2009

No. E (LL) 2008/FA/1 **New Delhi, Dated 05.05.2009**

The General Managers & FA & CAOs,
All Indian Railways/PUs.

Sub: - Revision of eligibility and amount of Festival Advance

In suppression of Advance Correction Slip No.203 circulated vide Board's letter of even number dated 5.11.2008 for revising the eligibility limit/amount of Festival Advance, Para 1125 and Para 1125(i) of Indian Railway Establishment Manual Volume I (Revised Edition—1989) may be amended as per the Advance Correction Slip No.208 enclosed as annexure.

The remaining terms and conditions of Para 1125 {i.e. sub para (ii) to (viii)} will remain unchanged.

(A.D.Ramachandran)
Director Estt. (LL)

D.A. As above

I.R.E.M. - Vol. I

(Revised Edition, 1989)

Para 1125 and 1125(i) of IREM Vol. I (Revised Edition) may be read as under:-

1125 – Advances & Festivals

Advance Correction Slip No.208

Page No.141 Chapter- XI

Non-gazetted railway servants (including workshop staff whose grade pay does not exceed Rs. 4800/- (Rupees four thousand eight hundred only) per month may be granted an advance on the eve of important festivals subject to the following terms and conditions :-

(i) The advance may be granted to Group 'C' railway servants (including skilled and highly skilled staff) and to Group 'D' railway servants (including semi-skilled and unskilled staff). The amount of advance will be Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand only). The rate of advance shall be increased by 25% every time dearness allowance on revised pay bands increases by fifty percent.

(The remaining terms and conditions of Para 1125
{i.e. sub Para (ii) to (viii) } will remain unchanged)

(No. E (LL) 2008/FA/1 dated 22.04.2009)